विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

❖ अनु. 174 के अनुसार- राज्यपाल, राज्य विधानमण्डल के एक या दोनों सदनों का समय-समय पर अधिवेशन (सत्र) बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान (Prorogue) कर सकता है;

According to Article 174- The Governor can call a session of one or both the Houses of the State Legislature from time to time and can prorogue it;

❖ राज्यपाल विधानसभा को विघटित (Dissolve) भी कर सकता है किसी सदन या सदनों को संदेश (Message) भेज सकता है (अनु. 175)। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में, विधानसभा में (तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ एक साथ समवेत दोनों सदनों में) विशेष अभिभाषण करता है (अनु. 176)।

The Governor can also dissolve the Legislative Assembly and send a message to any House or Houses (Article 175). At the beginning of the first session of each year, he makes a special address to the Legislative Assembly (and in states where there is a Legislative Council, to both the Houses assembled together) (Article 176).

अध्यादेश जारी करने की शक्ति Power to Promulgate Ordinances

Art. 213 → राज्यपाल द्वारा अध्यादेश (ordinance) जारी किया जाता है।

जारी क्यो? ⇒ जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो।

अनुमोदन (Approval) → विधानसभा (Legislative Assembly) और विधानपरिषद् (जहां पर यह है) का अनुमोदन।

२४ → राज्य
६ → राज्य → विधानसभा
विधानपरिषद्
२२ राज्य - विधानसभा

⇒ पुनः समवेत (Reassemble/ दोबारा बैठक के दिन) से 6 सप्ताह के अंदर -

(within 6 weeks)

⇒ बिना अनुमोदन के अध्यादेश की अधिकतम अवधि (Maximum Duration of ordinance without Approval ⇒ 6 Months 6 सप्ताह (weeks)

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- वित्त मंत्री द्वारा 'वार्षिक आय-व्यय का अनुमानित विवरण' अर्थात् 'बजट' विधान मण्डल के समक्ष रखवाता है* (अनु. 202)।

The finance minister places the 'Estimated Statement of Annual Income and Expenditure' i.e. 'Budget' before the Legislature* (Article 202).

बजट -> पेश - वित्त मंत्री
↓
राज्यपाल के कहने पर

❖ राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है।

The money bill is introduced in the Legislative Assembly only with the permission of the Governor.

❖ राज्य सरकार की 'आकस्मिक निधि' पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है।

The Governor has control over the 'contingency fund' of the state government.

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

❖ अनु. 161 - किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा (Pardons) करनें उसका प्रविलम्बन (Reprives) करने, विराम (Respites) या परिहार (Remissions) करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, या लघुकरण (Commute) की शक्ति है। राज्यपाल को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है Article 161 - Power to pardon, reprieve, remit or remit the punishment of any person convicted of any crime or to suspend or commute the sentence. Governor does not have the power to pardon a person sentenced to death.

Art. 361 → विशेषाधिकार (Special Rights)

↳ राष्ट्रपति / राज्यपाल ⇒ जब तक ये दोनों पद पर रहते हैं -

→ तब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं ✗

→ कोई आपराधिक मामला नहीं ✗

→ कोई कोर्ट इनके विरुद्ध नोटिस जारी नहीं ✗

→ सिविल मामला चल सकता है। ✓

RPF SI & CONSTABLE 2024

रेल रक्षक बैच

POLITY

संसद



LIVE STREAMING 13-08-2024 11:00 AM

संघीय विधायिका : ससद The Union Legislature : Parliament

भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तम्भ संघीय विधायिका या संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग-5 अनुच्छेद 79 से 122 के अन्तर्गत किया गया है।

The second pillar of the Indian system of governance is the federal legislature or parliament. Its provision has been made in Chapter 2 of Part-5 of the Constitution under Articles 79 to 122.

भारतीय लोकतंत्र → संघ / राज्य

Indian Democracy ⇒ ③ स्तंभ (Pillar)

(1) कार्यपालिका (executive) ✓

(2) विधायिका (Legislative) ✓

(3) न्यायपालिका (judiciary) ✓

④ मीडिया

संघीय विधायिका
Union legislative ⇒ संसद (Parliament)

↳ Part (भाग) → V

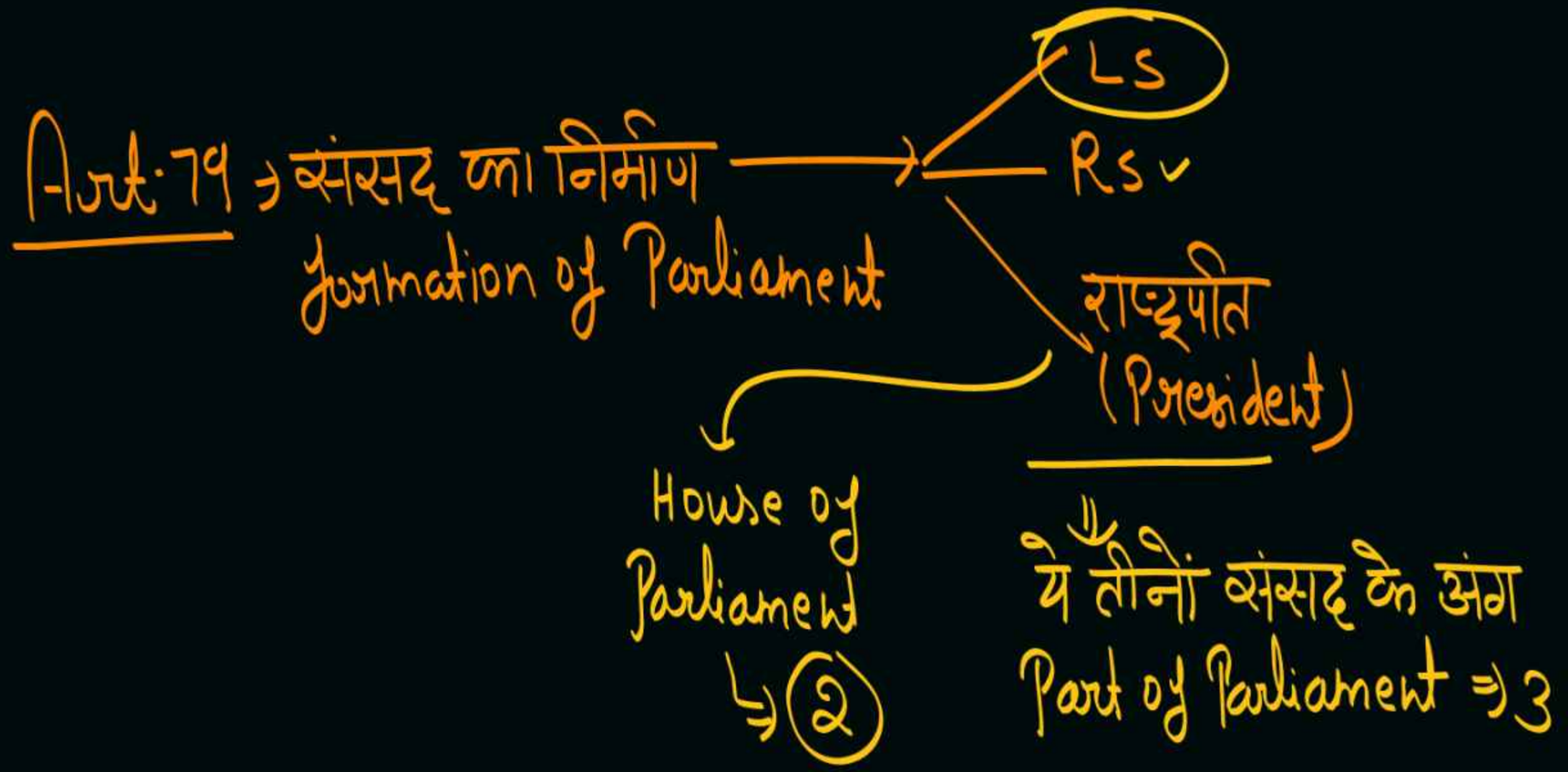
Art. (अनु०) = 79-122

अनुच्छेद-79 में कहा गया है, 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः 'राज्य सभा' (Council of State) और 'लोक सभा' (House of the People) होंगे।

↳ राज्यों की परिषद्

↳ जनता का सदन

Article 79 says, 'There shall be a Parliament for the Union consisting of the President and two Houses of Parliament, to be called respectively the Council of State and the House of the People.


Art. 79 ⇒ संसद का निर्माण
Formation of Parliament
LS
Rs
राष्ट्रपति
(President)
House of Parliament ↳ (2)
ये तीनों संसद के अंग
Part of Parliament ⇒ 3

लोकसभा House of the People

लोकसभा का गठन - लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनु. 81 में किया गया है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी,

LS -> गठन => Art. 81

सदस्यों से => मूल संविधान (original constitution) => 500

MPs

7 CA 1956 => 500 से बढ़ाकर => 522

31 CA 1973 => 522 - 545 ✓

545
- 2
543

वर्तमान में सदस्य संख्या => 543, वर्तमान में सीटों की संख्या => 545

104 CA 2019 => 2 Anglo-Indian's
2 आंग्ल भारतीय => LS में मनोनीत Nominate in LS => by the President राष्ट्रपति द्वारा

Art. 331

2 आंग्ल-भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जायेगा। ✗

550 → LS की अधिकतम सदस्य संख्या

552 → LS की अधिकतम सीटें

→ 84 वां CA 2000 ⇒ LS / RS / विधानसभा (LA) विधानपरिषद् (LC)

⇓

इन सभी की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए निश्चित (fixed) कर दी गयी।

सदस्य संख्या
- वर्तमान ⇒ 543 ✓

सीटों की संख्या " ⇒ 545.

अधिकतम सदस्य ⇒ 550

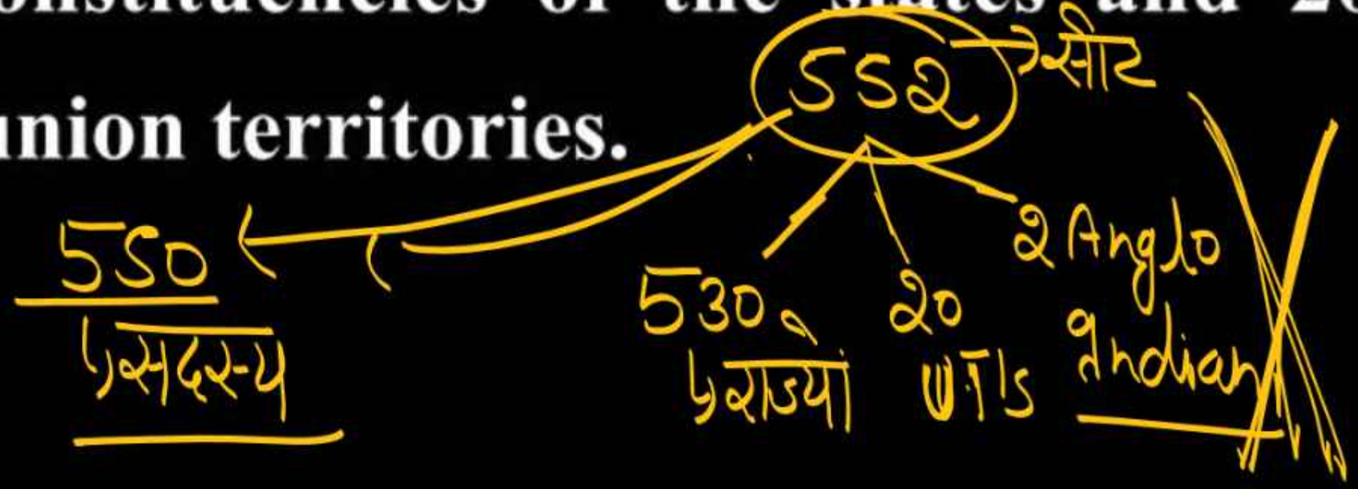
" सीट ⇒ 552

लेकिन समय-समय पर इसमें वृद्धि की गयी 7वें संविधान संशोधन अधि. 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गयी। पुन: 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गयी।

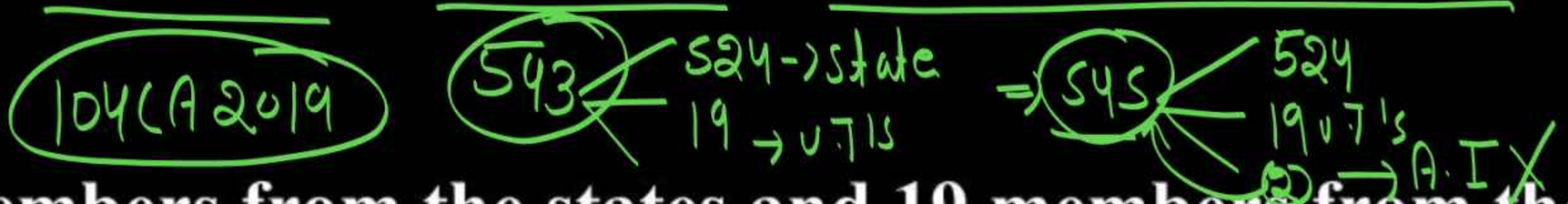
But it was increased from time to time and by the Constitutional Amendment Act 1956, while reorganizing the states, the maximum number of members of Lok Sabha was fixed at 525. Again, by the 31st Constitutional Amendment 1973 the maximum number of members of Lok Sabha was increased from 525 to 545.

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे।

The maximum number of members in Lok Sabha can be 550. Out of these, a maximum of 530 members can be elected from the constituencies of the states and 20 members from the union territories.



524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी, 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया है।



524 members from the states and 19 members from the union territories. The 104th Constitutional Amendment has abolished the nomination of Anglo-Indians in the Lok Sabha and state assemblies from January 25, 2020.

104(A) 2019

Last Date = 25 Jan 2020

SC एवं ST का आरक्षण – अनुच्छेद 330 104वें संविधान संशोधन (2019) (द्वारा अनु. 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।*

Reservation of SC and ST - Article 330 104th Constitutional Amendment (2019) (By amending Article 334, the provision regarding reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes in the Lok Sabha has been extended till 2030.*

संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गयी 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 ही रहेगी।

Under this provision of the Constitution, the number of elected members of the Lok Sabha was fixed at 543 on the basis of the 1971 census. By the 84th Constitutional Amendment in 2001, the total number of Lok Sabha members will remain 543 till 2026.

सदस्यों का निर्वाचन Election of Members

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किन्तु संविधान के 61 वें संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

The members of Lok Sabha are directly elected on the basis of adult suffrage. Earlier, a person attaining the age of 21 years was considered an adult, but by the 61st amendment of the Constitution in 1989, the age of voting has been reduced from 21 years to 18 years.

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है; लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, यदि वह चित्तविकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो (अनुच्छेद 326)।

Any person who is a citizen of India and is 18 years of age or above can vote in an election to the Lok Sabha if he is not disqualified from voting under any law made by Parliament on the grounds of unsoundness of mind, non-residence, conviction of any offence or corrupt practice (Article 326).

सदस्यों की अर्हताएँ (Qualification of Members)

लोकसभा तथा राज्य सभा सदस्यों की अर्हताएँ अनु. 84 में दी गयी है।

The qualifications for members of Lok Sabha and Rajya Sabha are given in Article 84.

(i) भारत का नागरिक है। is a citizen of India.

(ii) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है।

is at least 25 years of age.

(iii) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची तीन में विहित प्रारुप में शपथ लिया है, has taken oath in the form prescribed in Schedule III before a person authorized by the Election Commission,

(iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यतायें हैं जो संसद द्वारा बनायी गयी विधि के तहत निर्धारित की गयी हैं।

He possesses such other qualifications as may be prescribed by law made by Parliament.

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification Members)

(i) संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है।
holds any office of profit under Articles 101 and 102 of the Constitution.

(ii) यदि वह विकृतचित्त है दिवालिया है;
if he is of unsound mind or insolvent;

(iii) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है if he is not a citizen of India

(vi) यदि वह दल-बदल कानून के तहत् अयोग्य हो
if he is disqualified under the anti-defection law

(a) यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छया छोड़ देता है।

If he voluntarily leaves the membership of that political party.

(b) यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है।

If he votes or does not vote in the House against the instructions given by that political party.

(c) जब कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

When an independent member joins a political party after election.

(d) यदि कोई मनोनीत (Nominated) सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

If a nominated member joins a political party 6 months after taking oath.

अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय

Decision on disqualification questions

अनु. 103 (अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा,

Article 103 (whether a person has become subject to any of the disqualifications mentioned in article 102 or not, the question shall be referred to the President for decision and his decision shall be final,

राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा।* दिल-बद दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है।*

The President will take the opinion of the Election Commission and will act according to its opinion.* The decision on the disqualification of Members of Parliament on the basis of defection is taken by the Speaker in the Lok Sabha and by the Chairman in the Rajya Sabha.*

कार्यकाल Tenure

अनु. 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। सरन्तु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।

According to Article 83(2), the term of the Lok Sabha is 5 years from the date of its first meeting. However, even before this period, it can be dissolved by the President on the advice of the Prime Minister.

आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी। उल्लेखनीय है

When the proclamation of emergency is in effect, the Parliament can by law extend the term of the Lok Sabha, which shall not exceed one year at a time. It is noteworthy

कि दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए (18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 एवं 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक) बढ़ाया गया था

That due to the second emergency proclamation, the term of the fifth Lok Sabha was extended twice for one year each (from 18 March 1976 to 18 March 1977 and from 18 March 1977 to 18 March 1978)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण Oath taking by members

Article 99 अनुच्छेद 99 -

अधिवेशन व गणपूर्ति meeting and quorum

अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है।

To constitute a session a quorum of 1/10th of the total number of members of the House is required.

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष The Speaker and Deputy Speaker

अनुच्छेद 93-97 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव करती है

Articles 93-97 are about the Speaker and Deputy Speaker. According to Article 93, the Lok Sabha elects a Speaker and a Deputy Speaker from among its members in its first meeting.

अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को देता है। उन्हें लोकसभा के तत्कालीन - समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।

The Speaker gives his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker gives his resignation to the Speaker. They can be removed from their post by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha.

उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो न दे दी गई हो। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।

The intention to move that resolution has not been given at least 14 days' notice to the Speaker or Deputy Speaker, whoever is to be removed. The Speaker shall remain in his office until immediately before the first session of the Lok Sabha.

लोकसभा के अध्यक्ष रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलायी जाती है। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है।*

No separate oath is administered as the Speaker of the Lok Sabha. Hence, no one administers the oath to the Speaker of the Lok Sabha.*

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य Power and Function of the Speaker

वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है

He presides over the meetings of the Lok Sabha.

वह सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है।

He is responsible for maintaining peace and order in the House.

वह दल-बदल के आधार पर अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करता है।

सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। He decides questions related to disqualification on the basis of defection.

लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है।* He presides over the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha.*

कोई विधेयक धन-विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

सदन में पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देता है, अनु. 100(1) * In case of an equal number of votes in the House, he casts the casting vote, Article 100(1)